

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्य आवेदन संख्या :- 59/2020

प्रार्थी
तहसीलदार बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

आयुक्त नगर परिषद् बाड़मेर

राजस्य आवेदन अन्तर्गत धारा 88 RLA Act.

उपस्थिति :- 1. पेशेकार सरकार।

आदेश

दिनांक 22.7.20

प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम बाड़मेर शहर पटवार मण्डल बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 1124, 1113 व 1103 में से नव सृजित खसरा संख्या 2394/1124, 4031/1124, 2391/1124, 2389/1124, 2379/1124, 2380/1124, 2381/1124, 2382/1124, 2390/1124, 2384/1124, 2385/1124, 2395/1124, 2386/1124, 2387/1124, 2383/1124, 2392/1124, 2393/1124, 2398/1124, 2399/1124, 2400/1124 कुल रकबा 39.13.16 बीघा व खसरा संख्या 2362/1113, 2363/1113, 2365/1113, 2366/1113, 2367/1113 कुल रकबा 34.16 बीघा व खसरा संख्या 3680/1103, 2354/1103, 2355/1103, 2356/1103 कुल रकबा 02.07.01 बीघा का एकीकरण कर नगर परिषद् बाड़मेर के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी आयुक्त नगर परिषद् बाड़मेर ने नोटिस का जवाब इस आशय का उपलब्ध करवाया कि ग्राम बाड़मेर शहर पटवार मण्डल बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2394/1124, 4031/1124, 2391/1124, 2389/1124, 2379/1124, 2380/1124, 2381/1124, 2382/1124, 2390/1124, 2384/1124, 2385/1124, 2395/1124, 2386/1124, 2387/1124, 2383/1124, 2392/1124, 2393/1124, 2398/1124, 2399/1124, 2400/1124 कुल रकबा 39.13.16 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 2379/1147 रकबा 39.13.16 बीघा व खसरा संख्या 2362/1113, 2363/1113, 2365/1113, 2366/1113, 2367/1113 कुल रकबा 34.16 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 2366/1113 रकबा 34.16.00 बीघा व खसरा संख्या 3680/1103, 2354/1103, 2355/1103, 2356/1103 कुल रकबा 02.07.01 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 2355/1103 रकबा 02.07.01 बीघा अंकित कर नगर परिषद् बाड़मेर में दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम बाड़मेर शहर पटवार मण्डल बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 1124, 1113 व 1103 में से नव सृजित खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

2394/1124, 4031/1124, 2391/1124, 2389/1124, 2379/1124, 2380/1124,
2381/1124, 2382/1124, 2390/1124, 2384/1124, 2385/1124, 2396/1124,
2388/1124, 2387/1124, 2383/1124, 2392/1124, 2393/1124, 2398/1124,
2399/1124, 2400/1124 कुल रकबा 39.13.16 बीघा का खसरा संख्या 2379/1147
रकबा 39.13.16 बीघा व खसरा संख्या 2362/1113, 2363/1113, 2365/1113,
2366/1113, 2367/1113 कुल रकबा 34.16 बीघा का खसरा संख्या 2366/1113 रकबा
34.16.00 बीघा व खसरा संख्या 3680/1103, 2354/1103, 2355/1103, 2356/1103
कुल रकबा 02.07.01 बीघा का खसरा संख्या 2355/1103 रकबा 02.07.01 बीघा नगर
परिषद् बाड़मेर के नाम एकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम बाड़मेर शहर पटवार मण्डल बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी के सेप्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 1124, 1113 व 1103 में से नव सृजित खसरा संख्या 2394/1124, 4031/1124, 2391/1124, 2389/1124, 2379/1124, 2380/1124, 2381/1124, 2382/1124, 2390/1124, 2384/1124, 2385/1124, 2395/1124, 2386/1124, 2387/1124, 2383/1124, 2392/1124, 2393/1124, 2398/1124, 2399/1124, 2400/1124 कुल रकबा 39.13.16 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 2379/1147 रकबा 39.13.16 बीघा व खसरा संख्या 2362/1113, 2363/1113, 2365/1113, 2366/1113, 2367/1113 कुल रकबा 34.16 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 2366/1113 रकबा 34.16.00 बीघा व खसरा संख्या 3680/1103, 2354/1103, 2355/1103, 2356/1103 कुल रकबा 02.07.01 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 2355/1103 रकबा 02.07.01 बीघा नगर परिषद् बाड़मेर के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरुस्त करें।

यह आज तारीख 22-9-20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(प्रशान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 22-9-20 को सरें इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर